केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यूनिट

पी.एस. 1–2, इन्स्टीट्यूशनल एरिया आई पी एक्सटेंशन पटपड़गंज, दिल्ली–110092

फोन नम्बर : 011–22235774, 22247176 फैक्स : 011–22235775 ई–मेलः ctet@cbse.gov.in

दिनांक–11.06.2018

जन सूचना

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)–2018

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिनांक 16/09/2018 (रविवार) को कक्षा I से कक्षा VIII तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु 11वाँ केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी सीटीईटी सितम्बर **2018** की परीक्षा के लिए सीटीईटी वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

परीक्षा की तिथि	16/09/2018 (रविवार)
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति	22.06,.2018 (शुक्रवार) से 19.07.2018 (गुरूवार)
ऑनलाइन आवेदन **भरने की अंतिम तिथि**	19.07.2018 (गुरूवार) (रात्रि 17.00 बजे तक)
डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा ई–चालान के माध्यम से शुल्क के भुगतान की अन्तिम तिथि	21.07.2018 (शनिवार) (अपराह्न 3:30 बजे तक)
उम्मीदवारों की अन्तिम स्थिति–जिन उम्मीदवारों की फीस प्राप्त हो गई है विवरण एवं स्थिति जाँचें	24.07.2018 (मंगलवार)
ब्यौरे में ऑनलाइन त्रुटि सुधार हेतु अवधि (इस तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में ब्यौरे में सुधार नहीं किया जाएगा)	26.07.2018 (गुरूवार) से 31.07.2018 (मंगलवार)
सीटीईटी वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड	20.08.2018 (सोमवार)

परीक्षा सारिणी

परीक्षा की तिथि	पेपर	समय	अवधि
16/09/2018	पेपर–II	09:30 बजे से 12:00 बजे तक	2:30 घंटे
16/09/2018	पेपर– I	14:00 बजे से 16:30 बजे तक	2:30 घंटे

अनुप्रयोज्यता

1 सीटीईटी केन्द्रीय सरकार के विद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय व तिब्बती स्कूलों आदि) तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन & दीव, दादर नागर हवेली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के लिए लागू होगा ।

2 गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय जो सीटीईटी के विकल्प पर विचार करना चाहते हैं, के लिए भी सीटीईटी लागू होगा ।

3 राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित तथा स्वामित्व के विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालय राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी पर विचार करेंगे। तथापि, राज्य सरकार भी सीटीईटी पर विचार कर सकती है, यदि वह टीईटी आयोजित नहीं करने का निर्णय करती है ।

4 सीबीएसई समबद्धता उप–नियम 53 के अनुसार यह निर्दिष्ट है कि सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं में कक्षा I से कक्षा VIII तक विभिन्न विषयों को पढ़ाना है, जिसमें सीबीएसई ने काफी हद तक सुधार किया है और अब यह अनिवार्य है कि इसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों अर्थात्,दिनांक 06 मार्च, 2012 से सीबीएसई से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से कक्षा VIII तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सीबीएसई/केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) अथवा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है को उत्तीर्ण/पास करना आवश्यक होगा। जिसके अनुपालन में एनसीटीई द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

अनुप्रयोज्यता, शुल्क संरचना, परीक्षा पद्धति, आवेदन करने का तरीका एवं सीटीईटी सितम्बर 2018 से संबंधित अन्य जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.ctet.nic.in को देखें।

सीटीईटी में अर्हता प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं देता क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मानदण्ड है ।

निदेशक (सीटीईटी)